



2026:AHC-LKO:20570

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 152/2026

महेश कुमार श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, सचिव, राजस्व, लखनऊ, और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

 याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी

 प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मु.स्था.अ.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी.एम. त्रिपाठी, तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।
2. प्रति उत्तर शपथ पत्र आज दाखिल किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की गई है, जिसमें विपक्षी को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे राजस्व निरीक्षक के पद के संबंध में, पुरानी पेंशन योजना के तहत याचिकाकर्ता को मिलने वाले पेंशन लाभों के लिए, याचिकाकर्ता की सेवा अवधि की गणना उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 18.11.1985 से करें। इसके साथ ही, राजस्व निरीक्षक के पद पर प्राप्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतिम वेतन के आधार पर, 01.04.2024 से पुरानी पेंशन योजना के तहत नियमित पेंशन स्वीकृत करने की भी प्रार्थना की गई है; तथा ग्रेच्युटी और ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान की भी मांग की गई है।

4. यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें विभाग में लेखपाल के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, कि सेवाकाल के दौरान ही दिनांक- 01.09.1985 को मृत्यु हो गयी; जिसके बाद, याचिकाकर्ता को 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाओं के आश्रितों की भर्ती (सेवाकाल में मृत्यु) नियमावली, 1974' (जिसे आगे '1974 के नियम' कहा गया है) के प्रावधानों के तहत, अनुकंपा के आधार पर लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के उपरांत, उन्होंने 23.11.1985 को कार्यभार ग्रहण किया, और उन्हें प्रथम पदोन्नति वेतनमान, अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां तथा अन्य सेवा-लाभ प्रदान किए गए। इसके पश्चात, 19.04.2022 को उसे पदोन्नत कर 'राजस्व निरीक्षक' के पद पर नियुक्त किया गया, और अंततः 31.03.2024 को वह इसी पद से सेवानिवृत्त हो गए।
5. यह निवेदन किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर हुई थी, इसलिए उनकी प्रारंभिक नियुक्ति ही अपने आप में मूल प्रकृति की मानी जाएगी; जिसके परिणामस्वरूप, वह ग्रेच्युटी सहित सभी पेंशन संबंधी लाभों का हकदार होगा और उसे 'पुरानी पेंशन योजना' के अंतर्गत भी शामिल किया जाना चाहिए, परंतु उसे ये लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं।
6. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने 06.02.2026 के प्रति शपथ पत्र के आधार पर यह निवेदन किया है कि उसके प्रस्तर 5 और 7 में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर की गई थी, लेकिन शुरुआती नियुक्ति लेखपाल के पद पर केवल अस्थायी थी, जिसके बाद उसे 27.10.2007 को नियमित किया गया; और चूंकि नियमितीकरण से पहले की अवधि



को पेंशन संबंधी लाभों के लिए गणना में नहीं लिया जा सकता, इसलिए 23.11.1985 से 24.01.2007 तक की उक्त अवधि को पेंशन संबंधी लाभों के लिए गणना में नहीं लिया जा सकता।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 1985 में, 1974 के नियमों के तहत, अनुकंपा के आधार पर 'लेखपाल' के पद पर हुई थी। उसे पेंशन संबंधी लाभ दिए जाने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर अयोग्य पाया गया है कि उसकी सेवाएं वर्ष 2007 में नियमित की गई थीं, और वर्ष 2007 से पूर्व की गई ऐसी अस्थायी सेवाओं को गणना में शामिल नहीं किया जा सकता।

8. उपर्युक्त पहलू—कि क्या याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही 'मूल' माना जा सकता है, अथवा केवल 'अस्थायी'—पर, निर्णय दिया जाना आवश्यक है।

9. उक्त पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, **उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम व अन्य बनाम ब्रिजेश कुमार व अन्य** [सिविल अपील सं. 9903/2024, जो वि.अ.या. (सी) सं. 10546/2019 से उत्पन्न हुई है और जिसका निर्णय 28.08.2024 को किया गया] के मामले में, निम्नलिखित प्रकार से विचार किया गया है:-

12. इस कानूनी सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है कि अनुकंपा के आधार पर की गई कोई भी नियुक्ति स्थायी नियुक्ति की प्रकृति की होती है, और उसे अस्थायी या संविदात्मक नहीं माना जा सकता। हालाँकि, मुख्य प्रश्न यह है कि वर्तमान मामले में, क्या प्रतिवादी की नियुक्ति सेवाकाल में मृत्यु होने पर नियुक्ति के नियमों के तहत हुई है, या फिर उससे स्वतंत्र रूप से संविदात्मक आधार पर की गई है।

10. अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति की सेवाओं की प्रकृति के संबंध में, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने **रवि करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**, (1999) 3 यू.पी.एल.बी.ई.सी. 2263 मामले में,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहले के निर्णयों—बुद्धि सागर दुबे बनाम जि.वि.नि., (1993) 1 यू.पी.एल.बी.ईसी. 197; गुलाब यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1991) 2 यू.पी.एल.बी.सी. 995; और धीरेंद्र प्रताप सिंह बनाम जि.वि.नि., (1991) 1 यू.पी.एल.बी.ईसी. 427—का हवाला देते हुए यह माना है कि सेवाकाल में मृत्यु नियमों के तहत की गई नियुक्ति स्थायी प्रकृति की होती है। बाद में, एक अन्य खंडपीठ ने विशेष अपील संख्या 348/2002 पर निर्णय देते हुए—जो 16.07.2002 को संजय कुमार बनाम उप महानिदेशक (एन.सी.सी.) निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मामले में सुनाया गया था—रवि करन सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय को भी अनुमोदित किया।

11. रवि करन सिंह (उपरोक्त) के निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर इस प्रकार हैं:-

"2. हमारी राय में, सेवाकाल में मृत्यु होने पर नियुक्ति के नियम के तहत की गई नियुक्ति को एक स्थायी नियुक्ति माना जाना चाहिए; अन्यथा, यदि ऐसी नियुक्ति को एक अस्थायी नियुक्ति माना जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि नियुक्ति के तुरंत बाद ही सेवा समाप्त की जा सकती है। ऐसा होने पर मृतक आश्रित नियमावली का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर परिवार को तत्काल राहत प्रदान करना होता है। अतः, हम यह निर्णय देते हैं कि मृतक आश्रित नियमावली के तहत की गई नियुक्ति एक स्थायी नियुक्ति है, न कि अस्थायी नियुक्ति; और इसलिए, ऐसी नियुक्तियों पर उ०प्र० अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975' के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

12. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों पर उपर्युक्त निर्णय (निर्णयों) के लागू होने पर, एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1974 के नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर की गई थी, तो ऐसी नियुक्ति से उसकी सेवाएँ 18.11.1985 से ही स्थायी मानी जाएँगी, न कि अस्थायी।



13. सिर्फ़ इस बात से कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के आदेश में उसकी सेवा को अस्थायी प्रकृति का बताया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता; क्योंकि इस संबंध में अब यह क़ानून पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख़ से ही, एक स्थायी नियुक्ति मानी जाती है।
14. ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए, 'परमादेश' की प्रकृति का एक रिट जारी किया जाता है, जिसमें विपक्षी गणों को यह आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की नियुक्ति को 18.11.1985 से प्रभावी मानते हुए 'मूल' नियुक्ति के रूप में स्वीकार करें; और पेंशन संबंधी लाभों के लिए, 23.11.1985 से याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवाओं की गणना करते हुए, पेंशन भुगतान आदेश सहित उचित आदेश जारी करें। याचिकाकर्ता, नियमानुसार स्वीकार्य 'ग्रेच्युटी' के भुगतान का भी अधिकारी होगा।
15. आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता पेंशन और ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर 01.04.2024 से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा।
16. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

20 मार्च 2026

केवीजी/-

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)